

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1295/अलीगढ़/19022/2018 अलीगढ़: दिनांक: सितम्बर, 04.08.2023

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर
नायरा एनर्जी लि०,
वर्ल्ड ट्रेड टावर, ऑफिस न० 115-116,
ग्यारहा तल, सेक्टर-16,
नोएडा-201301 (उ०प्र०)।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/19022/2018)

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-अनुपशहर मार्ग (एन.एच.-93) किमी 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या-46/3, में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू.पी./06/58/2018/एफ.सी./634 दिनांक 07.01.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-11सी-2071/FP/UP/Others/19022/2018 दिनांक 11.01.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1137/अलीगढ़/19022/2018 दिनांक 21.09.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-अनुपशहर मार्ग (एन.एच.-93) किमी 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या-46/3, में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की कार्योपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-3238/अलीगढ़/19022/2018 दिनांक 31.01.2022 द्वारा मांग पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु आपके द्वारा 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी। जिसके फलस्वरूप आपसे निम्नानुसार संशोधित धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The Legal status of the forest land shall remain unchanged".
2. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 201 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु- 172700.00 (एक लाख बहात्तर हजार सात सौ मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध कराये। वृक्षारोपण कार्य कांटेदार तार के अन्तर्गत तारबाड़ सुरक्षा में किया जायेगा।
3. शर्त संख्या-4 के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं निर्धारित दरों के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.II) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009, 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि 9,57,780/- की दर से $0.201409 \times 9,57,780 = 1,92,905.00$ (एक लाख बानवे हजार नौ सौ पाँच मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध कराये।

Mishra

4. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency"
5. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 एवं ब्याज की गणना के अनुसार **रु० 10,87,909.00 (दस लाख सतासी हजार नौ सौ नौ मात्र)** धनराशि ई-पोर्टल द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी एवं Online Payment History की छायाप्रति प्रेषित की जायेगी।
6. शर्त संख्या-8 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Greenery will be maintained by the user agency around the Periphery of petrol pump".
7. शर्त संख्या-10 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall."
8. शर्त संख्या-11 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station".
9. शर्त संख्या-13 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer."
10. शर्त संख्या-14 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of user agency or the project life, whichever is less."
11. शर्त संख्या-17 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Changes may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife."
12. शर्त संख्या-18 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत करें कि All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in>)
13. शर्त संख्या-19 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत करें कि The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in>)

अतः उपरोक्त शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं Online Payment History की प्रति पृथक-पृथक 05 प्रतियों में मूल हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराये।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि:-वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में दण्डात्मक एन.पी.वी. की गणना

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-अनुपशहर मार्ग (एन.एच.-93) किमी 93 के चैनेज 92.960 की बांयी पटरी पर ग्राम नगौला के खसरा संख्या-46/3, में नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन०पी०वी०-प्रभावित वन भूमि $(0.201409) \times 9,57,780 = 192905.00$
2. प्रस्ताव के प्रक्रिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण $5 \times 192905 = 964525.00$
(दिनांक 13.06.2018 से उल्लंघन हेतु- 5 गुना)
3. 12 प्रतिशत Simple Interest = $964525 \times 12 = 115743.00$
4. पांच वर्ष की एन०पी०वी० पर एक वर्ष का ब्याज $(115743 / 5) = 23149.00$
5. पांच वर्ष चार माह की एन०पी०वी० का ब्याज $(23149 \times 5.33) = 123384.00$

$(964525 + 123384) = 10,87,909.00$

(दस लाख सतासी हजार नौ सौ नौ मात्र)

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रस्तावित परियोजना का नाम- एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-अनुपशहर मार्ग (एन0एच0-93) किमी0 93 के चैनेज 92.960 बांयीं पटरी खसरा सं0 46/3, ग्राम-नगौला, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.201409 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित क्षेत्र का नाम- छेरत वन ब्लाक
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 201 (0.201409 x 1000 = 201)
भूमि का प्रकार- ऊसर

रेंज का नाम- अलीगढ़ रेंज

(अ) प्रथम चरण- अग्रिम मृदा कार्य					
क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दरप्रति	घनराशि (रु0में)
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण व सीमांकन	0.32	प्रति हे0	56.23	18
2	क्षेत्र की झाड़ी सफाई	0.32	प्रति हे0	411.39	132
3	मृदा परीक्षण	1.00	प्रति हे0	447.72	448
4	गड्डों का पंक्तिबधन	201	प्रति गड्डा	0.35	70
6	गड्डों का खुदान (0.60x 0.60x0.60 समी0)	201	प्रति गड्डा	20.09	4038
7	ऊसर भूमि हेतु जिप्सम व बालू का कय	201	प्रति गड्डा	8.43	1694
8	आर0सी0सी0 खंम्भों का मूल्य कर सहित (0.15x 0.10x1.80)	15	प्रति मी0	404.00	6060
9	काटेंदार तार का मूल्य	0.048	प्रति मी0	84892.00	4075
10	अन्य व्यय		ल0सं0		1465
योग					18000
द्वितीय चरण - वृक्षारोपण					
1	गोबर खाद कय @ 2 किग्रा प्रति गड्डा	0.639	प्रति घ0मी0	914.58	584
2	गड्डों में कीटनाशक दवा, जिप्सम व बालू मिलाकर गड्डा भरना	201	प्रति	1.6	322
3	पौध कय करना 3 प्रतिशत क्षति सहित बड़ी थैली पौध	207	संख्या	80	16560
4	पौध का दुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	207	संख्या	20.09	4159
5	पौधों का स्थानीय दुलान - बड़ी थैली पौध	201	संख्या	6.82	1371
6	पौधारोपण, थावला बनाना,रोपण के बाद तुरन्त सिंचाई बड़ी थैली पौध	201	संख्या	5.62	1130
7	पौधों की सिंचाई 12 बार (12X201)	2412	संख्या	3.32	8008
8	पौधों की निराई गुड़ाई 2 बार	402	संख्या	1.28	514.56
9	रासायनिक उर्वरक एक बार	0.32	एक मुश्त	600.00	192
10	आर0सी0सी0 खंम्भों की ग्राउटिंग (6:3:1 सीमेन्ट कंक्रीट)	15	प्रति	225.00	3375
10	खंम्भों का स्थानीय दुलान	15	प्रति मी0	3.77	56.55
11	तार की खिंचाई	250	प्रति र0मी0	0.97	242.5
12	वृक्षारोपण श्रमिक (जुलाई से मार्च)	156	प्रतिदिन	201.00	31356
13	वृक्षारोपण बोर्ड बनाना, लिखाना तथा स्थल पर ले जाकर लगाना	1	संख्या	2500.00	2500
14	ट्रैक्टर आदि की मरम्मत आदि	0.32	प्रति	750.00	240
15	अन्य व्यय		अनुमानित		390
योग-					71000
रख-रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण (तृतीय चरण)					
1	सिंचाई विभागीय टैंकर व टैंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित, 12 बार	2412	प्रति पौध	3.32	8008
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	603	संख्या	1.28	772
3	रासायनिक उर्वरक एक बार	0.32	प्रति	600.00	192
4	बीटिंग अप कार्य- 10 प्रतिशत				
अ	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु गड्डा खुदान	20	प्रति	20.09	402
ब	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु पौध कय 3 प्रतिशत क्षति सहित बड़ी थैली पौध	21	प्रति	80.00	
स	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु पौध दुलान 3 प्रतिशत क्षति सहित बड़ी थैली पौध	21	प्रति	20.09	1680
ड	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों के रोपण हेतु पौध का स्थानीय दुलान	20	प्रति	6.82	422
इ	मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण, थावला बनवायी व तुरन्त सिंचाई	20	प्रति	5.62	136
5	तारबाड़ मरम्मत आदि	0.32	प्रति	1100.00	112
6	वृक्षारोपण ट्रैक्टर व टैंकर आदि की मरम्मत	0.32	प्रति	750.00	352
					240

7	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक	78.00	प्रति दिन	201.00	15678
8	अन्य व्यय		अनुमानित		1006
	योग-				29000
रख-रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण (चतुर्थ चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	1608	संख्या	3.32	5339
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 2 बार	402	संख्या	1.28	515
3	रासायनिक उर्वरक एक बार	0.32	प्रति	600.00	192
4	तारबाड मरम्मत आदि	0.32	प्रति है०	1100.00	352
5	टैक्टर, टैकर आदि की मरम्मत	0.32	प्रति है०	600.00	192
6	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201	2010
7	अन्य व्यय		अनुमानित		1401
	योग-				10000
रख-रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण (पंचम चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	603	संख्या	3.32	2002
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	201	संख्या	1.28	257
3	तारबाड की मरम्मत आदि	0.32	प्रति है०	1100.00	352
4	टैक्टर, टैकर आदि की मरम्मत	0.32	प्रति है०	300.00	96
5	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		260
6	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201	2010
7	अन्य व्यय		अनुमानित		523
	योग-				5500
रख-रखाव चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण (छठा चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	603	संख्या	3.32	2002
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	201	संख्या	1.28	257
2	तारबाड की मरम्मत आदि	0.32	है०	1100.00	352
4	क्षेत्रीय वन अधिकारी / उप प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार प्रूनिंग / छंटाई	60	प्रति पौध	6.60	396
5	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		260
6	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201.00	2010
7	अन्य व्यय		अनुमानित		723
	योग-				6000
रख-रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण (सातवां चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	603	संख्या	3.32	2002
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	201	संख्या	1.28	257
3	तारबाड की मरम्मत आदि	0.32	है०	1100.00	352
4	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		260
5	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201.00	2010
6	अन्य व्यय		अनुमानित		619
	योग-				5500
रख-रखाव षष्ठम वर्ष अनुरक्षण (आठवां चरण)					
1	पौधों की सिंचाई 3 बार	603	संख्या	3.32	2002
2	सफल पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	201	संख्या	1.28	257
3	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 है० पर एक	10	दिन	201.00	2010
4	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		260
5	अन्य व्यय		अनुमानित		471
	योग-				5000

रख-रखाव सप्तम वर्ष अनुरक्षण (नवां चरण)					
1	वृक्षारोपण की देख-रेख हेतु श्रमिक- प्रति 5 हे० पर एक	10	दिन	201.00	2010
2	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		1000
3	अन्य व्यय		अनुमानित		990
	योग-				4000
रख-रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण (दसवां चरण)					
1	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		260
2	अन्य व्यय		अनुमानित		740
	योग-				1000
रख-रखाव नवां वर्ष अनुरक्षण (ग्यारवां चरण)					
1	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		260
2	अन्य व्यय		अनुमानित		740
	योग-				1000
रख-रखाव दसवां वर्ष अनुरक्षण (बारहवां चरण)					
1	प्रजातिवार, ऊँचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रखरखाव		ल०स०		260
2	अन्य व्यय		अनुमानित		740
	योग-				1000
	सारांश -	योग	10 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि	कुल योग	
	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य-	18000	1800	19800	
	द्वितीय चरण वृक्षारोपण-	71000	7100	78100	
	तृतीय चरण रख-रखाव प्रथम वर्ष अनुरक्षण-	29000	2900	31900	
	चतुर्थ चरण रख-रखाव द्वितीय वर्ष अनुरक्षण-	10000	1000	11000	
	पंचम चरण रख-रखाव तृतीय वर्ष अनुरक्षण-	5500	550	6050	
	छठा चरण रख-रखाव चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण-	6000	600	6600	
	सातवां चरण रख-रखाव पंचम वर्ष अनुरक्षण-	5500	550	6050	
	आठवां चरण रख-रखाव छठम वर्ष अनुरक्षण-	5000	500	5500	
	नवां चरण रख-रखाव सातवां वर्ष अनुरक्षण-	4000	400	4400	
	दसवां चरण रख-रखाव आठवां वर्ष अनुरक्षण-	1000	100	1100	
	ग्यारवां चरण रख-रखाव नवां वर्ष अनुरक्षण-	1000	100	1100	
	बारहवां चरण रख-रखाव दसवां वर्ष अनुरक्षण-	1000	100	1100	
	योग-	157000	15700	172700	
	कुल अनुमानित व्यय			172700	


 A. R. Ali

प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 अलीगढ़।